कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, छतरपुर म. प्र.

बिन्दु क्र. 1 जिला शहरी विकास अभिकरण छतरपुर का संगठनात्मक ढांचा

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, छतरपुर म. प्र.

कलेक्टर /अध्यक्ष

परियोजना अधिकारी

सहायक परियोजना अधिकारी

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

लिपिक | भृत्य

जिला शहरी विकास अभिकरण में निम्न शाखायें है :-

1. लेखा /स्थापना 2. आवक जावक शाखा 3. योजना शाखा

(2) कार्यालय में पदस्थ विभाग प्रमुख का नाम तथा उनके वेतन एवं कर्तव्यों का विवरण

नाम	पद	वेतनमान	कर्तव्य
श्री निरंकार पाठक	परियोजना अधिकारी	65500/-	प्रशासनिक एवं कार्यालय संचालित योजना का क्रियान्वयन

(3) कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया

- शासन/प्रतिनिधि/आम जनता एवं नगरीय निकायों से प्राप्त पत्र
- परियोजना अधिकारी आवश्यक निर्देशों के साथ टीप कर संबंधी शाखा को प्रेषित करता है।
- आवक/जावक शाखा द्वारा पंजीकृत कर पत्र संबंधी शाखा का प्रेषित करना।
- शाखा लिपिक द्वारा अपनी टीप के साथ परियोजना अधिकारी को नस्ती प्रस्तुत करना।
- परियोजना अधिकारी द्वारा आदेश अंकित करना/कलेक्टर/अध्यक्ष को भेजना/नस्ती करना

(4) कार्यालय द्वारा कार्यों को समय सीमा के अन्दर निपटाये जाने संबंधी कार्यवाही

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार अन्तर्गत शासन से प्राप्त लक्ष्य को जिले के नगरीय निकायों को वितरित किया जाता है। लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार समय सीमा निश्चित की गई है –

1.	अप्रेल 2019 से जून 2019 तक	प्रथम त्रैमास	25 प्रतिशत
2.	जुलाई 2019 से सितम्बर 2019 तक	द्वितीय त्रैमास	25 प्रतिशत
3.	अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 तक	तृतीय त्रैमास	25 प्रतिशत
4.	जनवरी 2020 से फरवरी 2020 तक	चतुर्थ त्रैमास	25 प्रतिशत

निर्धारित लक्ष्यों में से 30* प्रतिशत महिला एवं 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाये और कुल हितग्राहियों में से 6 प्रतिशत विकलांग हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावे इन लक्ष्यों में से 11 अ व 11 ब अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में से उनकी स्थानीय शहरी जनसंख्याएं उनकी आबादी के अनुपात में लाभ दिया जाता है।

(5) जिला शहरी विकास अभिकरण का गठन राज्य शासन इण्डियन सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठन किया गया है। कार्यालयीन कार्य अधिनियम एवं शासन के प्रपत्रों के अनुसार कार्य संपादित किया जाता है।

(6) कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची :-

क्र.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरुप	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समय सीमा
1.	कार्यवृत्त पुस्तिका गवर्निंगवाडी	रजिस्टर		
2.	मासिक जानकारी	प्रपत्र		
3.	त्रैमासिक जानकारी	प्रपत्र		
4.	वार्षिक जानकारी	प्रपत्र		
5.	स्टाक पंजी	रजिस्टर		
6.	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर		
7.	वेतन	वेतन पत्रक		
8.	रोकड़िया	रोकड़िया पत्रक		
9.	छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति	रजिस्टर		
10.	पोस्टेज पंजी	रजिस्टर		
11.	विधानसभा	रजिस्टर		
12.	समय सीमा	रजिस्टर		
13.	आवेदन पत्र/पत्राचार	संबंधी प्रकरण कीजानकारी		

(7) परामर्श दात्री समिति –

जिला शहरी विकास अभिकरण का गठन राज्य इंडियन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संचालित विविध योजनाओं के संचालन के लिये किया गया है। समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र सा.सा. 192 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधि. पंजीकृत हुआ। इस हेतु गवर्निंग वाडी का गठन नगरीय कल्याण संचालनालय म.प्र. भोपाल (पदेन अध्यक्ष) के पत्र क्रमांक 7437/शा-4/एस.जे.एस/4/99/2000 भोपाल दिनांक 24-7-99 अनुसार निम्नानुसार सदस्यों को मनोनीत किया गया है :-

1. जिले के जिलाध्यक्ष इसके पदेन।
2. विकास विभागों के जिला स्तर के अधिकारी गृह निर्माण मंडल विकास सुधार न्यास, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारी
3. नगर निगम/नगर पालिकाओं के अध्यक्ष/प्रशासक/आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
4. बैंक के प्रतिनिधि।
5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य।
6. नगर सुधार न्यास के कार्यपालन अधिकारी।
7. गरीबों की भलाई में लगी अशासकीय संस्था का एक प्रतिनिधि।
8. एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकर्ता।

9. अनुसूचित जाति और जनजाति के एक एक प्रतिनिधि।
10. नगरीय क्षेत्रों से संबंधित मा. सांसद/विधायक गण।

(8) विगत बैठक की कार्यवाही विवरण एवं उनका प्रारूप

परामर्शदात्री समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित किया जाता है व पालन प्रतिवेदन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

(9) प्राधिकारियों और कर्मचारियों के नाम एवं दूरभाष क्रमांक

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	पता	दूरभाष क्र. नि.	कार्यालय
1.	श्री निरंकार पाठक	रामाजी नगर, छतरपुर	9425144591	241391

(10) कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम

अ. क्र.	नाम पदाधिकारी /कर्मचारी	पद	मासिक उपलब्धि वेतन + महंगाई	विनियमों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति			वेतनमान
				गृह भाड़ा	मेडीकल भत्ता	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री निरंकार पाठक	परियोजना अधिकारी	73360	1203	—	74563	65500/—
2.	श्री अशोक कुमार मिश्रा	संविदा कर्मचारी	11485	—	—	11485	
3.	श्री अरविन्द रिछारिया	संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर	11485	—	—	11485	
4.	श्री महेश प्रसाद मिश्र	भृत्य	35280	340		35620	31500/—

(11) कार्यालय के लिये मदवार (   ) आवंटन

विषय :- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री अधोसंरचना (हॉकर कार्नर)

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	पूर्व वर्ष की शेष राशि	चालू वर्ष में प्राप्त राशि	कुल राशि (3+4)	व्यय राशि	शेष राशि	भौतिक उपलब्धि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	7.64	25.00	32.64	6.75	25.89	10%	
2.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	19.14	25.00	44.14	44.14	—	26%	
3	मुख्यमंत्री अधोसंरचना (हॉकर कार्नर निर्माण)	15.00	—	—	—	15.00		
4	प्रशासकीय व्यय (A.&O.E.)	15.45	10.00	25.45	16.01	9.44		

(12) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित जानकारिया :-

1. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना –
2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना –
3. समूह ऋण (NULM शहर केवल नगर पालिका परिषद छतरपुर एवं नौगांव के लिये) :-
4. मुख्यमंत्री अधोसंरचना (हॉकर्स कार्नर)

(13) वास्तविक हितग्राहियों की सूची –
वर्ष 18–19 की सूची नगरीय निकायों की जानकारियों में उल्लिखित है।

(14) कार्यालय में उपलब्ध जानकारी – हार्डकापी एवं इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उपलब्ध है।

(15) आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने की सुविधा –

कार्यालयीन समय 4.00 बजे से 5.00 बजे तक

(16) लोक सूचना अधिकारी के नाम पदनाम तथा अन्य विभाग प्रमुख द्वारा सूचित किया जावेगा।

अ. क्र.	नाम	पदनाम	टेलीफोन नं.	कार्यालय का फोन नं.	कार्यालय पता	मिलने का समय
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री निरंकार पाठक	परियोजना अधिकारी /लोक सूचना अधिकारी	9425144591	241391	जिला शहरी विकास अभिकरण छतरपुर	साय 4–5
2.	संयुक्त संचालक	अपीलीय अधिकारी	261217		नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर	

(17) अन्य सूचना, धारा 4 (1) बी

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से निःशुल्क/सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी। आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा।

   अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।

2. जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता है।

3. जिला शहरी विकास अभिकरण की कार्य पालन समिति की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिको की जानकारी व अवलोकन हेतु उपलब्ध है जिनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेगें।

1. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना –

अ. योजना की परियोजना लागत अधिकतम राशि 50000 रूपये है।

ब. पात्रता आयु 18 वर्ष 55 वर्ष है।

स शैक्षणिक योग्यता का योजना में कोई बंधन नही है

द. आय सीमा बी.पी.एल अथवा राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन के अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्ड धारी) हाथ ठेला चालक एवं साईकिल रिक्शा चालक, पथ विकेता, केश शिल्पी एवं शहरी घरेलू कामकाजी महिला के हितग्राही जिन्होने नगरीय निकायों में पंजीयन कराया है, के लिये शैक्षणिक योग्यता का का बंधन नही है।

ई ऋण अवधि अधिकतम 07 वर्ष तक, मार्जिन मनी लागत का 25 प्रतिशत, ब्याज अनुदान बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से 07 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अंतर राशि देय होगी।

प योजना के अन्तर्गत पंजीबद्ध हाथ ठेला साईकिल रिक्शा चालक, पथ पर विकय करने वाले, केश शिल्पी एवं घरेलू कामकाजी महिलाओं को प्रसूति के दौरान निम्नलिखित सहायता दी जावेगी –

1. प्रसूति सहायता– पंजीबद्ध हितग्राही अथवा उसकी पत्नी को प्रथमतः मात्र दो प्रसूतियों के लिये निर्धारित कलेक्टर दर अनुसार छैः सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि एवं पेतृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि नगरीय निकाय के माध्यम से विभाग द्वारा दिया जावेगा।

2. प्रसूति व्यय– रूपये 1000 जननी सुरक्षा अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय होगी।

3. मृत्यु की स्थिति मे अनुग्रह सहायता – हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक के परिवार के सदस्य की मृत्यु होने के दशा में अन्त्येष्टी के रूपये 5000/– अनुग्रह सहायता राशि तत्काल निकाय द्वारा दी जायेगी तत्पश्चात निकाय उक्त राशि का क्लेम सामाजिक न्याय विभाग से प्राप्त किया जायेगा।

4. छात्रवृत्ति– ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछडा वर्ग /सामान्य निर्धन वर्ग के अन्तर्गत आते है उनको संबंधित विभाग द्वारा प्रचलित छात्रवृत्ति योजना के मापदण्ड के अनुसार छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

5. जनश्री बीमा– योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति के उन बच्चों को जो कक्षा 9 वी से 12 वी में अध्ययनरत है उनको जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकतम 2 बच्चों को 100 रूपये प्रति माह के मान से भारतीय जीवन बीमा निगम के हेड कार्यालय जबलपुर द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी

2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना –

1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार येाजना के तहत परियोजना लागत राशि 50000 से 200000 लाख होगी
2. पात्रता आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष होगी।
3. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 5 वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
4. आय सीमा बी.पी.एल अथवा हाथ ठेला चालक एवं साईकिल रिक्शा चालक, पथ विक्रेता, केश शिल्पी एवं शहरी घरेलू कामकाजी महिला के हितग्राही जिन्होने नगरीय निकायों में पंजीयन कराया है, के लिये आय सीमा का बंधन नही है।

3. **समूह ऋण (NULM शहर केवल नगर पालिका परिषद छतरपुर व नौगांव के लिये) :–**

1. समूह ऋण सिर्फ एन.यू.एल.एम. शहरों के लिये है।
2. इसमें परियोजना लागत अधिकतम राशि 10.00 लाख तक,
3. पात्रता आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक।
4. आय सीमा बी.पी.एल. समूह सदस्य संख्या कम से कम पांच सदस्य हो तथा 70 प्रतिशत बी. पी.एल. हो।
5. ऋण अवधि अधिकतम 07 वर्ष तक। मार्जिनमनी सहायता लागत का 15 प्रतिशत। ब्याज अनुदान बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 07 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अंतर राशि एवं महिला समूह को 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज राशि देय होगी।

4. **मुख्यमंत्री अधोसंरचना (हॉकर्स कार्नर) :–** छतरपुर जिले के 15 नगरीय निकायों मे लगभग 5264 सर्वेक्षित पथ पर विक्रय करने वाले हितग्राही है। जिनके कार्य/व्यवसाय हेतु निकायों द्वारा लगभग 92 हॉकर कार्नर चिन्हित किये गये है। जो समय–समय पर कम एवं ज्यादा हो सकते है। इनके निर्माण हेतु NULM शहर छतरपुर नौगांव को छोड़कर शेष 13 नगरीय निकायों को उक्त मद में प्राप्त राशि आवंटित की जाती है जिससे पंजीबद्ध हॉकर उसमे ठहरकर आराम करने के साथ साथ व्यवसाय भी संचालित करते है।